पुलिस स्टेशनों का दौरा किया जाता है ताकि जनता की शिकायतों को मौके पर ही निपटाया या दूर किया जा सके।

(ङ) सभी पुलिस स्टेशनों में अभियुक्त व्यक्तियों आदि से पूछताछ के लिए रिपोर्टिंग रूम और थावाध्यक्ष के कमरे के समीप अलग से एक स्थान होता है जिसे "संक्रमण कक्ष" कहते है।

(च) उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच अधिकारियों को अमानवीय तरीकों को प्रयोग में लाने से से बचने के लिए ब्रीफ किया जाता है।

(छ) सभी संबंधितों को शराबी, रशाखोर और घायल व्यक्तियों को पुलिस स्टेशनों में न रखने के अनुदेश अलग से जारी किए गए हैं। पुलिस को इन्हें अस्पताल आदि ले जाने के निदेश हैं।

(ख) केन्द्रीय कारागार तिहाड़

i. मानसिक अथवा अन्य बीमारी वाले कैदियों को उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है और अन्य कैदियों से अलग रखा जाता है।

ii. आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले कैदियों पर निकट से नजर रखी जाती है;

iii. रस्सी, धारदार हथियार, धातु के टुकड़े आदि जैसी वस्तुएं, जोकि आत्महत्या में सहायक/सहयोग देती है, जेल परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं है;

iv. जेल में चिकित्सा सुविधाओं को उन्नत किया गया है और प्रत्येक जेल में अपने एक औषघालय की व्यवस्था की गई है जहां चौबीस घण्टे डाक्टरों का एक दल उपलब्ध रहता है।

Surveillance Airaraft for BSF

3097. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the purchase of six surveillance aircrafts required for airwing of the BSF was scrapped;

(b) if so, will this not effect the operational efficiency of the BSF especially when the proposed aircrafts were to be inducted for duty on the Jammu and Kashmir borders; and

(c) the steps Government propose to ensure that the objectives to be achieved by these aircrafts are adequately fulfilled?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) BSF had intended to purchase surveillance aircrafts for surveillance of the international borders on the Western frontiers. On detailed examination, it was found that the fixed wing surveillance aircraft, which were proposed to be deployed mainly on western border, and not Kashmir, would not be cost effective. For operational efficiency of BSF, other surveillance devices have been tested and found to be more effective. Government will ensure that the objective of better management of international border is adequately fulfilled.

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

3098. **श्रीमती शबाना आजमी**:

श्री बलवन्त सिंह रामूदालिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में सरकार में परिवर्तन के बावजूद दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कोई नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय लिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमन,। तीन महीनों (अप्रैल-जून, 1998) के दौरान अपराध विभिन्न शीषों के अन्तर्गत 16836 मामले सूचित किए गए जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधी के दौरान 17820 मामले सूचित किए गए थे।

(ग)और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा सरकार द्वारा समय समय पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ साथ बीट गश्त को बढाना, अनुकूल स्थानों पर सशस्त्र पिकटों की तैनाती, आसूचना नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, अपराधियों के छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर कड़ी नजर रखना और निरन्तर ग्रापे मारना, हिस्ट्री शीटरों